



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 420/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गुरूचरण सिंह 512] देवली हवेली] बाईजी का तालाब] जोधपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त परिवहन विभाग, सहकार भवन के पास, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 14-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजीव कुमार, उपायुक्त उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-06-2017 के द्वारा अर्जुन सिंह राठौड़ जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर के विरुद्ध चल रही 16 सीसीए व 17 सीसीए के ज्ञापन, स्पष्टीकरण एवं उन्हें पूर्व में दण्डित किया गया हो तो आदेश की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इसका समर्थन अपीलोत्तर दिनांक 30-01-2018 से भी होता है। पत्र क्रमांक 49025 दिनांक 07-07-2017 द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 30-01-2018 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को प्रेषित सूचना की प्रति संलग्न की है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त